

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

बनाम

मै. वी टी पी कन्स्ट्रक्शन

7 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और अफताब आलम, जे. जे.]

छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम, 1994 - धारा 35-बिक्री कर स्रोत पर कटौती-की संवैधानिक वैधता- निर्धारित-प्रावधान संवैधानिक रूप से अमान्य है।

धारा 35 के तहत स्रोत पर बिक्री कर काटा गया था, छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम, 1994, निष्पादित कार्य अनुबंधों के लिए प्रत्यर्थी-निर्धारिती को यह भुगतान किया गया। प्रत्यर्थी ने धारा 35 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया और प्रत्यर्थी से वसूल की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपील की गयी ।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

इस्पात प्राधिकरण और नाथपा मामले में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना सही था कि धारा 35

छत्तीसगढ़ का वाणिज्य कर अधिकार, 1994, संवैधानिक रूप से अमान्य है।  
उक्त धारा के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थी से एकत्र की गई राशि की वापसी  
का निर्देश सही था। [पैरा 10], {1152-सी, डी}

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य,  
[2000] 3 एससीसी 200 एवं मैसर्स नाथपा झाकरी जॉइंट वेंचर बनाम  
हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, [2000] 3 एससीसी. 319, पर आधारित  
था।

पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य ,(1996)29  
वी. के. एन. 533, संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5679/ 2007

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय और आदेश दिनांकित  
21.02.2006 डब्ल्यू. पी. सं. 661/2002 से।

अपीलार्थी की ओर से राजेश श्रीवास्तव।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए  
गए निर्णय को चुनौती दी गई है। प्रत्यर्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के  
समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिस में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर

अधिनियम, 1994 की धारा 35, वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 [इसके बाद अधिनियम से संबोधित किया जाएगा], छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के समान [संक्षेप में 'एक्ट'] की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी 'निर्धारिती' के रूप में वर्णित है।

3. प्रत्यर्थी द्वारा रेखांकित तथ्य की पृष्ठभूमि इस प्रकार हैं:

रिट याचिकाकर्ता श्री कृष्ण मुदलियार की स्वामित्व वाली संस्था से संबंधित है और यह छत्तीसगढ़ सरकार व विभिन्न विभागों के लिए कार्य अनुबंधों का निष्पादन कर रहे हैं इसका कर पंजीकरण सं.061/आरडीएन/14, '2739/02 है। रिट याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन वर्ष 2001-2002 के दौरान कार्यकारी अभियंता, पी. डब्ल्यू. डी. [बी एंड आर], डिवीजन खैरागढ़, द्वारा दिए गए कार्य अनुबंधों को निष्पादित किया था, जिसके लिए 1,27,115/- रुपये का भुगतान प्राप्त किया, जिस पर 2,545/- रुपये का बिक्री कर, जो 1,27,115/- रुपये की राशि के 2 प्रतिशत के बराबर था की कटौती अधिनियम की धारा 35 के तहत की गई। कर कटौती का प्रमाण पत्र दिनांक 11/04/2001 को एक्ट की धारा 35 के तहत जारी किया गया है।

4. रिट याचिका के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 35 में कार्य-अनुबंधों के निष्पादन के दौरान आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य और प्रकृति की कटौती और निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। निष्पादन के दौरान अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान

आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य कार्य अनुबंध के लिए निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 35 के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

5. वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा आपत्तियों का जवाब/बयान दाखिल करके रिट याचिका का विरोध किया गया है। जवाब में कहा गया है कि जो ठेकेदार भवनों, सड़कों, पुल, बांध आदि निर्माण में लगे हुए हैं, आम तौर पर अन्य राज्यों से आते हैं। बिक्री कर के निर्धारण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और ऐसे ठेकेदार मूल्यांकन से पहले अनुबंध के तहत पूरा भुगतान प्राप्त करने के बाद घटनास्थल से गायब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ऐसे ठेकेदारों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और अंततः ऐसे ठेकेदारों द्वारा देय बिक्री कर की वसूली नहीं हो पाती। जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान होता है। राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियम में धारा 35 अधिनियमित की गई है और राज्य विधायिका के पास धारा 35 को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता है। यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 35 और इस तरह के प्रावधानों में एक अनूठा प्रावधान नहीं है, अन्य राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों में ऐसे प्रावधान अधिनियमित हैं। उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 6-डी, बंगाल वित्त [बिक्री-कर] अधिनियम, 1941 की धारा 6 ई, बिहार वित्त अधिनियम 1981 की धारा 25-ए, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 की धारा 25-बी, हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1968 की धारा 12- ए, जम्मू और

कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 16-सी, कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम की धारा 19-ए, ओडिशा बिक्री कर अधिनियम 1947 की धारा 13-एए । यह भी तर्क दिया गया कि धारा 35 की संवैधानिक वैधता अधिनियम पर पहले से ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [1996]29 वीकेएन 533 के मामले में विचार और समर्थन किया गया था।

6. उच्च न्यायालय ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, [2000] 3 एससीसी 200 और मैसर्स नाथपा झाकरी जॉइंट वेंचर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, [2000] 3 एस. सी. सी. 319 मामले में इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया और प्रावधान को अरक्षणीय घोषित किया गया।

7. अपील के समर्थन में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 35 की सीमा और दायरे का ध्यान में नहीं रखा गया। इस्पात प्राधिकरण के मामले में निर्णय [उपरोक्त] और नाथपा का मामला [उपरोक्त] अलग-अलग प्रावधानों से संबंधित था और, इसलिए, इस मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होता है।

8. स्टील अथॉरिटी का मामला [उपरोक्त] धारा 13 एए, उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 [इसके बाद 'उड़ीसा अधिनियम' के रूप में संदर्भित] से संबंधित, नाथपा झाकरी के मामले [उपरोक्त] विवाद में धारा 12 ए,

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 [संक्षेप में 'हिमाचल प्रदेश एक्ट'], उड़ीसा अधिनियम की धारा 13 एए को निरस्त करते हुए इस न्यायालय, द्वारा इस्पात प्राधिकरण के मामले [उपरोक्त] में यह ऑब्जर्व किया गया:

“धारा 13 एए, खंड की सरल व्याख्या पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह राज्य बिक्री कर जो एक ठेकेदार द्वारा संविदा कार्य मूल्य पर देय है को एक कार्य अनुबंध स्रोत पर कटौती के उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया है। कटौती के उद्देश्य के लिए न तो मालिक और न ही आयुक्त जो ठेकेदार को धारा 13 एए [5] के तहत प्रमाण पत्र जारी करता है, इस तथ्य को ध्यान में रखने का हकदार है कि कार्य अनुबंध में अंतर-राज्यीय बिक्री, बाहरी बिक्री के परिणामस्वरूप माल या आयात के दौरान एक बिक्री, संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है। मालिक वृ को धारा 13 ए. ए. [1] की आवश्यकता होती है कि वह ठेकेदार के दायित्व के प्रति राज्य बिक्री कर पर चार प्रतिशत कर, जो वह ठेकेदार इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कार्यों का मूल्य अनुबंधों में अंतर-राज्यीय बिक्री, बाहरी बिक्री या आयात के दौरान बिक्री पर जमा करता है 1 इसलिए, हमारे विचार में, संदेह नहीं है कि धारा 13 एए के प्रावधान, आयात के क्रम में अंतर-राज्यीय बिक्री, बाहरी बिक्री या बिक्री पर बिक्री कर लगाना, राज्य विधानमंडल के लिए राज्य विधानमंडल का कोई कानून नहीं बना सकता है।”

9. नाथपा झाकड़ी के मामले [उपरोक्त] में इस अदालत ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम की धारा 12ए को असंवैधानिक माना और निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"इन दोनों प्रावधानों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों अनुबंध कार्य से संबंधित बिलों या इनवॉइस जो ठेकेदार द्वारा जारी किए जाते हैं के हस्तांतरण में 2 या 4 प्रतिशत जैसा भी प्रकरण हो कटौती करने का दायित्व है। यद्यपि प्रावधान का उद्देश्य कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल पर सभी कार्य अनुबंध पर लेनदेन के संबंध में कर को पूरा करना है, प्रावधान का प्रभाव यह है कि भले ही बिक्री अंतर-राज्य बिक्री हो या बाहरी बिक्री या निर्यात बिक्री जो राज्य अधिनियम के दायरे से बाहर हो और वे लेनदेन जिनके संबंध में ठेकेदारों के बिल या चालान में कोई कर नहीं लगाया जाना है। यह कहना कि यदि कोई व्यक्ति मूल्यांकन पूरा होने पर कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है तो बाद के चरण में बिना किसी सांत्वना के रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि भवानी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य, [1967] 20 एसटीसी 290 [एससी] [1967] 3 एससीआर 577 में देखा गया है। इसके अलावा, कटौती जो प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है के प्रमाणन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि कार्य अनुबंध के लिए देय राशि से 4 प्रतिशत तक की कटौती करने के लिए संबंधित व्यक्ति को मनमानी और

अव्यवस्थित शक्तियां प्रदान की गई हैं, भले ही लेनदेन अंततः किसी भी बिक्री कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो। मामले को देखते हुए, हमें राज्य की ओर से पेश किए गए तर्क को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।"

10. स्टील अथॉरिटी के मामले और नाथपा के मामले [उपरोक्त] में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसके मद्देनजर अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि अधिनियम की धारा 35 संवैधानिक रूप से अमान्य थी। उक्त धारा के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी से वसूल की गई राशि वापस करने का निर्देश उचित ही दिया गया था।

11. अपील सारहीन है और इसलिए, खारिज करने योग्य है जिसके लिए हम निर्देश देते हैं। खर्च के लिए कोई आदेश नहीं होगा।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पवन कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।